प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.10.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अलग-अलग बैंकों के 45 एटीएम कार्ड व एक बैग तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद ।

आज दिनांक 01.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले अभियुक्त शाहरुख उर्फ बादशाह पुत्र निजामुद्दीन निवासी बुद्ध बाजार नियर बंगाली मस्जिद नसबंदी कालोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से भिन्न – भिन्न बैंको के 45 एटीएम बरामद हुए । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धारा 35(1)/106 बीएनएसएस व 317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं और मेरा दोस्त इसी मोटर साईकिल का प्रयोग कर एटीएम में पैसा निकालने वाले व्यक्तियों के पीछे पीछे एटीएम में घुस कर उनकी मदद करने लग जाते है और एटीएम बदलकर पैसे निकाल लेते हैं । हमने पहले भी कई घटनाओं को दिल्ली क्षेत्र व गाजियाबाद क्षेत्र में अंजाम दिया है, तथा अब भी हम किसी घटना को अंजाम देने के लिये ही आये थे कि आपने मुझे पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

शाहरुख उर्फ बादशाह पुत्र निजामुद्दीन निवासी बुद्ध बाजार नियर बंगाली मस्जिद नसबंदी कालोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त का विवरण-

फिरोज उर्फ मोनू पुत्र इलियास निवासी बुद्ध नगर नियर लाल मंदिर नसबंदी कालोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

अलग-अलग बैंकों के 45 एटीएम कार्ड व एक बैग तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग – अभियुक्त शाहरुख उर्फ बादशाह के विरुद्ध धोखाधडी के सम्बन्ध में 03 अभियोग थाना मोदीनगर पर तथा 01अभियोग थाना मुरादनगर पर तथा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम- थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 25.09.2025 को थाना निवाडी पर वादी कि बहन द्वारा अपने पति से दान दहेज की मांग व लडाई-झगडे से प्रताडित होकर फांसी लगा ले जाने के सम्बन्ध मे तहरीर प्राप्त हुई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुंसगत धारा 115(2)/85/80(2) BNS व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.10.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ललित पुत्र चन्द्रपाल निवासी वार्ड न0 4 कस्बा पतला थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि मुझे शराब पीने की लत है, मुझे पैसो की जरूरत होती है तो मैं अपनी पत्नी रोशनी उर्फ पूजा को अपने मायके से रूपये मांगने का दबाव बनाता था। पैसे न देने पर मै उसके साथ मारपीट करता था, अक्सर मेरा व मेरी पत्नी का झगडा रहता था। मै उसके साथ रूपये न देने के कारण मारपीट करता था, मै दहेज की मांग करता था मै अपनी पत्नी के ससुरालीयो के रूपये न देने पर उनसे बात भी नही करने देता था। मेरी पत्नी ने परेशान होकर फांसी पर लटककर आत्म हत्या कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ललित पुत्र चन्द्रपाल निवासी वार्ड न0 4 कस्बा पतला थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध दहेज हत्या व लूट के सम्बन्ध में थाना निवाडी पर 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.09.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रेहान पुत्र इकबाल निवासी पुरानी गुड मंडी मौहल्ला नूरगंज मक्की मस्जिद के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 64/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 30.09.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रेहान पुत्र इकबाल निवासी पुरानी गुड

मंडी मौहल्ला नूरगंज मक्की मस्जिद के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने वादिया को 20 हजार रूपये ब्याज पर दिये थे, मैने पैसे माँगे तो वादिया ने पैसे नहीं दिये, पैसे नहीं देने पर मैने वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

रेहान पुत्र इकबाल निवासी पुरानी गुड मंडी मौहल्ला नूरगंज मक्की मस्जिद के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 7,331 की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 01.10.2025 को साइबर सेल थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक दीपक नि0 ग्राम मनौली थाना मुरादनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रु 7,331/- में से रु 7,331/- आवेदक को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मुरादनगर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक दीपक के साथ दिनांक 16.08.2025 को 7,331/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 01.10.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 7,331/- धनराशि को वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना मुरादनगर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

साइबर सेल टीम,   थाना मुरादनगर।

थाना ट्रोनिका सिटी, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद,
दिनांक 30.09.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व महिला मिशन शक्ति टीम की संयुक्त कार्यवाही में घायल अवस्था में लुटेरा/स्नैचर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30-09-2025 को रात्रिकालीन थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व महिला मिशन शक्ति टीम द्वारा ठोकर नंबर 7 के सामने संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी मुखबिर की सूचना पर दिनांक 15/09/25 को मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाइल फोन लूट की घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसके संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व महिला मिशन शक्ति टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त की निशादेही पर घटना में लूटा गए मोबाइल फोन की बरामदगी के दौरान अभियुक्त द्वारा पूर्व में छुपाए अपने असलाह से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त को घायल अवस्था में उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया।

बरामदगी का विवरण
अभियुक्त की निशादेही से घटना में लूटा गया मोबाइल फोन एवं एक नाजायज देशी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद।

पूछताछ का विवरण
अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान दिनांक 15/9/2025 की घटना का इकबाल करते हुए बताया कि मैं और मेरा साथी खजूरी दिल्ली से डीएलएफ होते हुए पुस्ता की तरफ आ रहे थे तभी हमने एक मोबाइल फोन लूट लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता
राहुल उर्फ काला पुत्र संतराम निवासी मोहल्ला कच्चा बलराम नगर गली नंबर 1 थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एवं अन्य थानों पर लूट व स्नेचिंग के आधा दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व महिला मिशन शक्ति की संयुक्त टीम।

स्वॅाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना कोतवाली सिटी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखों का भारी मात्रा में बिक्री हेतु भण्डारण करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से 94 गत्ते के कार्टुन / प्लास्टिक के बोरो मे भिन्न-भिन्न प्रकार के 20 कुन्तल, 84 किलो 800 ग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखे बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखे की बिक्री / भण्डारण की रोकथाम में अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के पर्यवेक्षण में, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च व कोतवाली सिटी गाजियाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली सिटी क्षेत्र में चौपला मन्दिर चौराहा पक्की मोरी डासना गेट के पास अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखों की बिक्री / भण्डारण का पर्दाफाश करते हुए दुकान / गोदाम मालिक सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न प्रकार की अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखे बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

<u>घटना का विवरणः-</u> दिनांकः-30/09/25 को मुखबिर की सूचना पर स्वॅाट टीम क्राइम ब्रान्च द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली सिटी क्षेत्रान्तर्गत चौपला मन्दिर के पास पक्की मोरी डासना गेट में एक दुकान व गोदाम मे बिक्री हेतु भण्डारण किये गये अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखों की बिक्री व भण्डारण करने वाले दुकान / गोदाम मालिक सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से भिन्न-भिन्न प्रकार के 20 कुन्टल, 84 किलो 800 ग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखे बरामद किये गये। उक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली सिटी पुलिस को संयुक्त रूप से शामिल कर थाना कोतवाली सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> गिरफ्तार अभियुक्त कार्तिक कंसल ने बताया कि उक्त दुकान व गोदाम उसके पिता प्रदीप कंसल पुत्र छोटेलाल कंसल की है जिसमें मेरे पिता बीडी, सिगरेट व तम्बाकू की थोक मे बिक्री करते है दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक है इसलिए पटाखों को चोरी-छिपे बेचने से काफी मुनाफा होता है इसी लालच मे आगामी दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य में मेरे पिता द्वारा तमिलनाडु से अवैध पटाखे मंगाकर बिक्री के लिए यहाँ पर भण्डारण किया हुआ था। बरामद उक्त अवैध पटाखो की बिक्री गिरफ्तार किये गये तीनों अभियुक्त (कार्तिक कंसल, वाहिद व सुनील) तथा मौके से फरार प्रदीप कंसल व नमन कंसल द्वारा की जा रही थी। उक्त अवैध विस्फोटक सामग्री की बिक्री व भण्डारण को दुकान / गोदाम मालिक द्वारा अपनी बीडी, सिगरेट व तम्बाकू की दुकान की आड मे किया जा रहा था। मौके से प्रदीप कंसल व उसके साथी फरार है जिनकी तलाश जारी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

1.कार्तिक कंसल पुत्र प्रदीप कंसल निवासी बी-191 पटेल नगर – 02 सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
2.वाहिद पुत्र वाजिद निवासी मौहल्ला गौसिया कस्बा नरौली थाना बनियाठैर जनपद सम्भल हाल निवासी किराये पर कैला खेडा थाना कोतवाली सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष
3.सुनील पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम गढी सलामनगर थाना सलवन जिला रायबरेली हाल पता- किराये पर रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब-24 वर्ष

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-</u>

1.अवैध विस्फोटक सामग्री 52 गत्ते के कार्टुन व 42 रंगबिरंगे प्लास्टिक के बोरो में- 20 कुन्तल 84 किलो 800 ग्राम

2.अवैध विस्फोटक सामग्री के बिक्री के लिए तोल हेतु इलैक्ट्रोनिक तराजू – 01

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.स्वॉट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना कोतवाली सिटी टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 01.10.2025 को थाना इन्दिरापुरम वादी चन्दन मिश्रा पुत्र नरेन्द्र कुमार मिश्रा की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के साथ दिनांक 30.09.2025 को घर से मंदिर जाते वक्त शिप्रा सनसिटी के गेट पर के पास रास्ते पर सिक्योरिटी गार्डस व 10 -12 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मिलकर एकराय होकर लाठी डन्डों से मारपीट कर देने के सम्बन्ध में धारा 191(2), 115(2), 351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 01.10.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. रघूराज पुत्र महराज सिंह निवासी हाल पता मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता मोतीपुरा उमरी भिंड मध्यप्रदेश उम्र 36 वर्ष। (सिक्योरिटी गार्ड) व 2. ललित पुत्र कल्लू निवासी हाल पता मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता गांव झिंजक थाना मंगलपुर जदनपद कानपुर देहात उम्र 20 बर्ष। (सिक्योरिटी गार्ड) को शिप्रा सनसिटी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 30.09.2025 को चन्दन मिश्रा के साथ लाठी डन्डों से मारपीट करने की घटना कारित की थी। जिन्हें पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. रघूराज पुत्र महराज सिंह निवासी हाल पता मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता मोतीपुरा उमरी भिंड मध्यप्रदेश उम्र 36 वर्ष। (सिक्योरिटी गार्ड)
2. ललित पुत्र कल्लू निवासी हाल पता मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता गांव झिंजक थाना मंगलपुर जदनपद कानपुर देहात उम्र 20 बर्ष। (सिक्योरिटी गार्ड)

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त रघूराज व ललित उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर मारपीट करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 44500/-रुपये बरामद।

दिनांक 18.09.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर अज्ञात अभियुक्त द्वारा मेडिकल स्टोर की दीवाल तोडकर उसमें रखे पैसे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 305/331(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 01.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.दीपक उर्फ भीम उर्फ छंगा पुत्र रघुनाथ निवासी तिलकराम कालोनी नियर भूरे पंडित की चक्की वाली गली थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष 2.राहुल उर्फ लव पुत्र मोती सिंह निवासी तिलकराम कालोनी सोम बाजार नियर छोटा शिव मन्दिर जतिन डीजे वाली गली थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 3. नरेश शर्मा पुत्र सुखपाल सिंह निवासी बी0 330 तिलकराम कालोनी थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 44500/-रुपये बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों ने ही मेडिकल स्टोर की दीवाल तोडकर उसमें रखे 80-90 हजार रुपये चोरी किये गये जिनमें से यही रुपये बचे हैं बाकी रुपये हमने अपने शौक में खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.दीपक उर्फ भीम उर्फ छंगा पुत्र रघुनाथ निवासी तिलकराम कालोनी नियर भूरे पंडित की चक्की वाली गली थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

2.राहुल उर्फ लव पुत्र मोती सिंह निवासी तिलकराम कालोनी सोम बाजार नियर छोटा शिव मन्दिर जतिन डीजे वाली गली थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।

3. नरेश शर्मा पुत्र सुखपाल सिंह निवासी बी0 330 तिलकराम कालोनी थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी किये हुए 44500/-रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

ट्रांस हिंडन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा डग्गामार बसों तथा अन्य वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक 01.10.2025 को ट्रांस हिंडन जोन के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन द्वारा मोहननगर चौराहा एवं जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत डग्गामार बसों तथा अन्य वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण :-

- चेकिंग किए गए वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही : 1045
- कार्यवाही की गयी डग्गामार बसों की संख्या : 21
- कुल कार्यवाही किए गए वाहनों की संख्याः 1066
- शेष वाहनों को चेतावनी व नियम पालन हेतु जागरूक किया गया।

कार्यवाही का उद्देश्य :-

- सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम ।
- यातायात व्यवस्था में सुधार ।
- आमजन को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक करना ।

आमजन से अपील :-

इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम होगी, बल्कि यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही आमजन से अपेक्षा की जाती है कि वाहन संचालन के दौरान यातायात नियमों का पालन करें एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखें।